न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुंतला आरएएस

मु0नं0 – 222/2020 (2020/00345)

रामसिंह पुत्र गिरधारी उर्फ गिरधारीलाल जाति मेघवाल आयु 37 वर्ष निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. गिरधारी उर्फ गिरधारी लाल पुत्र खिराज उम्र 65 जाति मेघवाल वर्ष निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्ण कुमार पुत्र गिरधारी उर्फ गिरधारीलाल जाति मेघवाल आयु 35 वर्ष निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजबाला पुत्री गिरधारी उर्फ गिरधारीलाल जाति मेघवाल आयु 40 वर्ष निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा सिरसा जरिए शाखा प्रबन्धक सिरसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री हनुमान सहारण प्रथम: वादी

वकील श्री राजेश गोदारा : प्रतिवादी सं0 1 ता 3

निर्णय

दिनांक : 08/10/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गांव रासलाना के खाता सं. 53/44 के खसरा सं. 87 की 13.7850 हैक्टर बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी व गोविन्द के नाम से बहिस्सा दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा 6.8925 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा खिराज के खातेदारी कृषि भूमि हुआ करती थी जिनकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 व गोविन्द के नाम से कर्ता खानदान होन के कारण राजस्व रिकार्ड में ओद हो गई। पक्षकारान हिन्दू है और हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होने के कारण वाद कृषि भूमि में जन्म से हक व हिस्सा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं. 04 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया । प्रतिवादी सं0 05 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी रामसिंह ने शपथ पत्र मुख्य परीक्षा पेश कर दस्तावेज भूमि प्रमाण पत्र प्रदर्श 01, जमाबंदी पटवार हल्का रासलाना संख्या 53/44 प्रदर्श–02, जमाबंदी खतौनी रासलाना खाता सं. 54/35 प्रदर्श–03, वारिस प्रमाण पत्र गाम पंचायत मुन्सरी प्रदर्श 04 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। एवं प्रतिवादीया सं. 03 राजबाला ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी 01 व 02 के पक्ष में तर्क किया। इस प्रकार उभयपक्ष वकीलों ने मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत वाद वादी ने राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2047 खाता स. 34/35 प्रदर्शित करवाई है जिससे उक्त वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 04 में रामसिंह के वारिसान में पत्नि विद्यादेवी व दो पुत्र रामसिंह व कृष्ण कुमार एवं एक पुत्री राजबाला मोजूद होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गांव रासलाना के खाता सं. 53/44 के खसरा सं. 87 की 13.7850 हैक्टर बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा 6.8925 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 गिरधारी की बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 01 व 02 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/10/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * भादरा जिला हनुमानगढ़ *

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़